


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8.10.25	<p>अविनाश नादी द्वारा प्रार्थना पत्र मागत पत्रावली तालम जायमाने मूल वाद में केस करने पर पत्रावली भाग की प्रेशी में ली गयी। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद नादी द्वारा प्रस्तुत विद्वां प्रार्थना के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A भी खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रोत्सव शुमार दोनर नंबर से कम दोनर राखित करत है।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              जोबनेर, जयपुर           </p>